न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
02/2015/प्रा.पत्र/2015	20.02.2015	18.07.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1–विकेता श्री फरीद अहमद पुत्र श्री अब्दुल हफीज जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला सोरगरान गली महबूब ड्राईवर टोंक जिला टोंक मैसर्स स्टार वेरायटी स्टोर गली सोरगरान सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक
2–श्री अब्दुल वाजीब पुत्र श्री अब्दुल हफीज मोहल्ला सोरगरान गली महबूब ड्राईवर टोंक प्रोपरायटर मैसर्स स्टार वेरायटी स्टोर गली सोरगरान सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक
3–श्री फरीद अहमद पुत्र श्री अब्दुल हफीज निवासी मोहल्ला सोरगरान गली महबूब ड्राईवर टोंक प्रोपरायटर मैसर्स स्टार वेरायटी स्टोर गली सोरगरान सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक
4– मैसर्स स्टार वेरायटी स्टोर गली सोरगरान सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक
5–श्रीमति शकुन्तला देवी पत्नि श्री सुरेश कुमार गुप्ता आदर्श विद्या मन्दिर के पीछे नई मण्डी रोड दौसा प्रोपरायटर मैसर्स पवन फूड प्रोडक्ट आदर्श विद्या मन्दिर के पीछे, जयपुर रोड दौसा
6– मैसर्स पवन फूड प्रोडक्ट आदर्श विद्या मन्दिर के पीछे, जयपुर रोड दौसा

..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थी सं. 1 ता 4 उप. एवं अभिभाषक व अप्रार्थी सं. 5 व 6 अनुपस्थित।

दिनांक 18.07.2022

:–**निर्णय**–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.02.2013 को समय 04:00 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स स्टार वेरायटी स्टोर गली सोरगरान सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां श्री फरीद अहमद पुत्र श्री अब्दुल हफीज उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री फरीद अहमद ने प्रतिष्ठान का मालिक श्री अब्दुल वाजीब पुत्र श्री अब्दुल हफीज होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान की रैक में 30 पैकेट 400 ग्राम पैक के **नमकीन (गंगन ब्राण्ड)** रखी हुई थी जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर विकेता

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

श्री फरीद अहमद को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दो प्रतियों में विक्रेता श्री फरीद अहमद व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **नमकीन (गंगन ब्राण्ड)** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा हैं, चार मूल पैकेट खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **नमकीन (गंगन ब्राण्ड)** के चारो पैकेटों को अलग–अलग विभाजित कर चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बे में रखा एवं प्रत्येक डिब्बे को एयर टाइट बंद किया एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक I–449 अंकित किया । प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया एवं चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–449 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक द्वारा मैसर्स स्टार वेरायटी स्टोर गली सोरगरान सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक को पत्र प्रेषित कर सूचना चाही गयी जिसकी अनुपालना में प्रोपराईटर द्वारा अपनी फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं मैसर्स पवन फूड प्रोडक्ट आदर्श विद्या मन्दिर के पीछे, जयपुर रोड दौसा का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त नमकीन खरीद करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स पवन फूड प्रोडक्ट आदर्श विद्या मन्दिर के पीछे, जयपुर रोड दौसा को पत्र प्रेषित कर मालिक/भागीदारों के नाम पते चाहे गये जिसकी पालना में प्रोपरायटर ने वेट फार्म नं. 4 एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र प्रेषित किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./13/1383 दिनांक 01.04.2013 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषकअजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/32/एफएसएसए/2013/32 दिनांक 06.03.2013 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **नमकीन (गंगन ब्राण्ड) मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का **नमकीन (गंगन ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 17.04.2015 को अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की ओर श्री विक्रम जैन एडवोकेट ने तथा अप्रार्थी सं. 5 व 6 की ओर से श्री अनूप कुमार पाठक एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब हेतु समय चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। आज अप्रार्थी सं0 1 ता 4 स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए एवं अपना जुर्म स्वीकार किया। तथा अप्रार्थी सं. 5 व 6 आज भी अनुपस्थित हैं। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **नमकीन (गंगन ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस एवं जवाब पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **नमकीन (गंगन ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 ता 4 पर कुल शास्ति रूपये 90,000/– (अक्षरे नब्बे हजार रू0) तथा अप्रार्थी सं. 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 1,50,000/– (अक्षरे एक लाख पचास हजार रू.) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 18.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0